दी/के 19/7/06

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

सं. 1(2) आरडीपीआरडी/पीएचई/कल्स/99–2000/3089 जयपुर, दिनांक : 5 जुलाई, 2006

अधिसूचना

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का राजस्थान अधिनियम सं. 13) की धारा 102 के साथ पठित धारा 89 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 258 का संशोधन .– राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 258 के उप–नियम (1) के खण्ड "(ग) मंत्रालयिक सेवा" में विद्यमान मद सं. (V) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी मदें अन्तःस्थापित की जायेंगी :–

"(vi) फिटर

(vii) हैण्डपम्प मिस्त्री।"

3. नियम 259 का संशोधन .– उक्त नियमों के नियम 259 के विद्यमान उप–नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित नये उप–नियम (5–क) और (5–ख) अन्तःस्थापित किये जायेंगे :–

" (5–क) फिटर का पद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से प्रतिनियुक्ति करके भरा जायेगा।

(5–ख) हैण्डपम्प मिस्त्री का पद राज्य सरकार के आदेश सं. एफ.13 (147)/विधि/प्राविप/हाईकोर्ट/94/3882, दिनांक 30.12.1995 के अनुसार पंचायत समितियों में नियमित हैण्ड पम्प मिस्त्रियों में से भरा जायेगा।"

4. नियम 265 का संशोधन .– उक्त नियमों के नियम 265 में विद्यमान परन्तुक (vii) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक (viii) अन्तःस्थापित किया जायेगा :–

" (viii) नियम 259 के उप–नियम (5–ख) के अधीन हैण्ड पम्प मिस्त्रियों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी बशर्ते ऐसे व्यक्तियों ने अधिवार्षिता की आयु प्राप्त न की हो।"

5. नियम 266 का संशोधन .– उक्त नियमों के नियम 266 की मद (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी मद (3 क) अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :–

" (3 क)	हैण्ड पम्प मिस्त्री	पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ ट्राइसेम कार्यक्रम के अधीन तीन मास का प्रशिक्षण। या हैण्ड पम्प की मरम्मत करने में दो वर्ष का अनुभव रखने वाला स्वछन्द हैण्ड पम्प मरम्मतकर्ता।"

6. **293—क का अन्तःस्थापन .—** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 293 के पश्चात्, निम्नलिखित नया नियम 293—क अन्तःस्थापित किया जायेगा :—

" **293—क. हैण्ड पम्प मिस्त्रियों को मकान किराया—भत्ता, यात्रा—भत्ता, दैनिक—भत्ता, छुट्टी और अन्य प्रसुविधाएं .—** इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हैण्ड पम्प मिस्त्रियों को मकान किराया—भत्ता, यात्रा—भत्ता, दैनिक—भत्ता (सभी प्रकार की) छुट्टी, छुट्टी का नकदीकरण और अतिरिक्त सुविधाएं समय—समय पर विनिर्दिष्ट सरकारी आदेशों के अनुसार अनुज्ञेय होंगी।"

7. **अनुसूची का संशोधन .—** उक्त नियमों के नियम 296 के पश्चात् संलग्न अनुसूची में, विद्यमान क्र. सं. 6 के पश्चात्, निम्नलिखित नयी क्र. सं. 6—क अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"क्र.सं.	पद का नाम और वेतनमान	प्रतिशत सहित भर्ती का स्त्रोत		सीधी भर्ती हेतु अर्हता और अनुभव	पदोन्नति		अभ्युक्तियां
		सीधी भर्ती	पदोन्नति		पद जिससे पदोन्नति हेतु विचार किया जायेगा	पदोन्नति हेतु अर्हता/अनुभव	
1	2	3	4	5	6	7	8
6—क	हैण्ड पम्प मिस्त्री (2550—3200) वेतनमान सं. 1	—	—	पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ ट्राइसेम कार्यक्रम में तीन मास का प्रशिक्षण। या हैण्ड पम्प की मरम्मत करने में दो वर्ष का अनुभव रखने वाला स्वछन्द 'हैण्ड पम्प मरम्मतकर्ता			पद, राज्य सरकार के आदेश सं. एफ. 13 (147)/विधि/प्राविप/हाईकोर्ट/94/3882 दि. 30.12.1995 के अनुसार पंचायत समितियों में नियमित हैण्ड पंम्प मिस्त्रियों में से भरा जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(खेमराज)
सचिव और आयुक्त।

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक ,राजकीय मुद्रणालय जयपुर को उक्त अधिसूचना सूचना पार्ट4(सी)खण्ड में प्रकाशनार्थ ।
2. विशिष्ठ सहायक,माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री ,राजस्थान जयपुर
3. निजी सचिव,राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राजस्थान जयपुर
4. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर
5. निजी सहायक,शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर
6. संभागीय आयुक्त समस्त ।
7. जिला कलक्टर,समस्त।
8. मुख्य/अति0 कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त ।
9. विकास अधिकारी,पंचायत समिति समस्त

शासन उप सचिव